पुस्तकालय

194
18.03.02

15 MAR 2002

असंशोधित

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

---

(भाग–२-कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मा० मु० (मुद्र० प्र०) 99/2--10,000--4-9-1998--एचएसई २ ।

द्वादश विधान सभा

सप्तम सत्र

शुक्रवार, तिथि 15 मार्च, 2002 ई0 / 24 फाल्गुन, 1923 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

प्रारम्भिक कार्य

अध्यक्ष द्वारा प्रारम्भिक वक्तव्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, द्वादश विधान सभा के सप्तम सत्रारंभ के अवसर पर मैं आपलोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ तथा नूतन वर्ष की अ म मंगल कामना करता हूँ।

" लोकतंत्र में जहाँ सरकार को अधिक संवेदनशील होना चाहिए, वहीं विपक्ष को अधिक उत्तरदायी। जन-समस्याएँ अनन्त हैं तथा उसकी पूर्ति के साधन सीमित हैं। ऐसी स्थिति में दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के साथ जन समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक मर्यादित ढंग से विवेचना होना चाहिए। सदन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि सदन नारेबाजी, धरना, उत्तेजनात्मक एवं असंसदीय अभिव्यक्ति, प्रदर्शन जैसे अक य कार्यों से परहेज किया जाय।"

मैं पुन: माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूँगा की संयम, अनुशासन एवं सौ र्द-पूर्ण वातावरण को कायम रखते हुए सभा के कार्य संचालन में मुझे सहयोग देने कृपा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये।

अध्यक्ष को सम्बोधित राज्यपाल का संदेश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :-

टर्न-1/मधुप
15.3.2002



## संदेश

"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विनोद चन्द्र पाण्डेय, बिहार का राज्यपाल इसके द्वारा एकत्रित बिहार विधान-मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 15 मार्च, 2002 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहता हूँ और इस हेतु पटना के विधान-सभा वेश्म में उनके सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ।"

पटना,
दिनांक- 26 फरवरी, 2002

ह०/- विनोद चन्द्र पाण्डेय,
राज्यपाल, बिहार।

अध्यक्ष : अब आपलोगों की अनुमति से मैं कुछ देर के लिए राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें यहाँ लाने के लिए बाहर जाता हूँ। इस बीच आपलोग कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें यहाँ लाने के लिए सदन से बाहर गये।

---

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय को लेकर सदन में प्रवेश किये।)

(इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने आसन ग्रहण किया।

सचिव, बिहार विधान-सभा : महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधान-मंडल दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं, अतएव अनुरोध है कि अ[illegible]षण देने की कृपा की जाय।

(व्यवधान)

(महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण।)

सत्यमेव जयते

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के संयुक्त अधिवेशन में
बिहार के महामहिम राज्यपाल

# श्री विनोद चन्द्र पाण्डेय

का

# अभिभाषण

## 15 मार्च, 2002

## बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण,

राज्य के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं बिहार विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में आप सब का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ । इस सत्र में आपको विधायी और बजट संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं । मुझे विश्वास है कि सदन में वाद-विवाद के दौरान अपने बहुमूल्य विचारों, सुझावों और अनुभवों से आप सदन और सरकार को लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करेंगे ।

2. आज देश एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है । 13 दिसम्बर, 2001 को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतीक भारत के संसद भवन पर आतंकवादियों ने अप्रत्याशित हमला किया, जिसका उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना था । किन्तु हमारे सजग सुरक्षा प्रहरियों ने अपनी जान पर खेल कर इस नापाक हमले को विफल कर दिया । उनका साहसिक प्रयास और बलिदान देश के लिये गर्व का विषय है ।

3. बिहार भगवान बुद्ध, महावीर, गुरू गोविंद सिंह, कवि कोकिल विद्यापति, वीर कुवंर सिंह, पीर अली, महात्मा गाँधी और लोकनायक जयप्रकाश की कर्मभूमि रही है । हम अपने पूर्वजों की प्रेरणा से अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं, ऐतिहासिक धरोहरों एवं स्वतंत्रता संग्राम के मानवीय मूल्यों को प्रतिकूल परिस्थियों में भी संरक्षित रखते हुए लोकतांत्रिक मर्यदाओं की रक्षा में तत्पर रहे हैं । यही कारण है कि यहाँ सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता की बुनियाद मजबूत होने के साथ आपसी भाईचारा विषम परिस्थितियों में भी अक्षुण्ण एवं अटूट रहा है । साम्प्रदायिक शक्तियों के द्वारा उन्माद पैदा कर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का जो कुचक्र चल रहा है, उसको हमने अपने राज्य में सफल नहीं होने दिया है । भविष्य में भी आप सब के सहयोग से उनके नापाक इरादों को नाकाम कर देने के लिए हम कृत संकल्प हैं । भाईचारे और एकता की इस अंतर्धारा को बनाये रखने के लिए राज्य की जनता को मैं बधाई देता हूँ ।

4. **लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म-शताब्दी** पूरे वर्ष मनाने के लिए कार्यक्रम तय करने हेतु हमने एक राज्य स्तरीय समिति बनाई है । लोक नायक ने जिस आदर्श राज्य और समाज का स्वप्न देखा था, उसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार शासन में सामान्य जन की हिस्सेदारी, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण और खुलेपन की कार्यशैली अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

5. हमें प्रसन्नता है कि बिहार में तेईस वर्षों के बाद **त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सफलता पूर्वक सम्पन्न** हुआ है और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपना काम-काज प्रारंभ कर दिया है । इस पंचायत व्यवस्था में बड़ी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वस्तुतः महिला सशक्तिकरण के बढ़ते कदम का प्रतीक है । इससे न सिर्फ प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का स्वतः समाधान भी होता जायेगा ।

6. राष्ट्रपिता की ग्राम-स्वराज की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए हमारी सरकार ने **त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियों** का **प्रतिनिधायन** किया है । उन्हें उनके क्षेत्र में पदस्थापित कई सरकारी कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण का अधिकार भी सौंपा गया है । पंचायतों को अधिकार सौंप कर उन्हें सत्ता का वास्तविक केन्द्र बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है । इस वर्ष 108 करोड़ रु0 पंचायत राज संस्थाओं को मौलिक नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करने हेतु मुहैय्या कराई जा रही है ।

7. सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील है । राज्य के 115 **नगर निकायों के चुनाव** कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा चुनाव इसी वर्ष 28 अप्रील को होना है । मुझे विश्वास है कि आप लोगों के सक्रिय सहयोग से नगर निकायों का चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होगा और सभी नगर निकाय स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने लगेंगे ।

8. **विकास योजनाओं के क्रियान्वयन** और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में कारगर पहल हुई है । योजना आयोग के अनुसार वर्ष 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर 1993-94 से लेकर 1999-2000 तक की अवधि में अविभाजित बिहार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 4.53 प्रतिशत रही । खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हमारा राज्य न केवल आत्मनिर्भर हो चुका है, अपितु फल, सब्जी तथा अन्न को निर्यात करने की स्थिति में है । अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के तहत अपनी फसल का उचित मूल्य मिल पाता तो राज्य में समेकित विकास की दर और भी त्वरित हो जाती । वर्ष 1993-94 में राज्य की 54.96 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जो वर्ष 1999-2000 में घटकर 42.60 प्रतिशत ही रह गयी है । इन वर्षों में कमी यद्यपि 22.49 प्रतिशत है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि इसमें तेजी से कमी लाई जाए । जनसंख्या 2001 के आँकड़ों के अनुसार पिछले दशक में राज्य में साक्षरता का प्रतिशत भी 37.49 से बढ़कर 47.53 हुआ है । यद्यपि यह बढ़ोतरी एक दशक में 26.78 प्रतिशत है, हमारा प्रयास होगा कि वर्ष 2005 तक 75 प्रतिशत आबादी को साक्षर बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकें ।

9. राज्य के विभाजन के फलस्वरूप राजस्व एवं आधारभूत सुविधाओं में आई कमी को हमने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है । केन्द्र सरकार ने भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार के लिए एक विशेष सेल बनाया है । हमारी सरकार ने योजना आयोग और भारत सरकार को **40 हजार करोड़ रु0 से अधिक की** योजनाएं **विशेष पैकेज** के तहत स्वीकृति हेतु भेजी है । हमें उम्मीद है कि केन्द्र सरकार विशेष पैकेज के तहत योजनाएं शीघ्र स्वीकृत करेगी और पूरी की पूरी राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी ।

10. इस वर्ष हमारी सरकार ने **कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल** की है ।

10.1 **ऊर्जा प्रक्षेत्र** के उन्नयन एवं सुधार के लिए हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है । ऊर्जा प्रक्षेत्र में ढांचागत सुधार, राज्य विद्युत नियामक आयोग के गठन एवं राज्य विद्युत बोर्ड की विभिन्न लाभप्रद इकाइयों के रूप में पुनर्संरचना को मूर्त्त रूप देने का निर्णय लिया है ।

10.2 सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से - राज्य सरकार के किसी वित्तीय भार के बिना - **10 लाख निजी नलकूप** लगवाने और पम्प सेट देने की योजना भी प्रारम्भ की गयी है । इसके अंतर्गत इस वर्ष लगभग 60 हजार निजी नलकूप लगाये जाने की स्वीकृति करायी गई है, और कार्य शुरू हो चुका है ।

10.3 जीर्ण-शीर्ण **नहरों के जीर्णोद्धार** एवं पुनर्स्थापन कार्य प्रारंभ कराये गये हैं । इसमें 21 करोड़ रुपयों की लागत से गंडक नहर प्रणाली के सारण नहर का पुनर्स्थापन कार्य युद्ध स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है । कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित की जा सकेगी ।

10.4 **सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी** सुनिश्चित करने की दिशा में आठ सिंचाई प्रणालियों के संचालन एवं सम्पोषण हेतु प्रबंधन की जिम्मेवारी कृषक समितियों को हस्तान्तरित की गई है ।

10.5 कार्य संस्कृति परिणामोन्मुख बनाने एवं संस्थापन व्यय में कमी लाने हेतु **कार्यालयों का पुनर्गठन** भी किया गया है ।

10.6 **भागलपुर में गंगा नदी पर**, छपरा-मुजफ्फरपुर पथ में रेवाघाट पर पुलों का निर्माण पूरा कर इसे लोकार्पित कर दिया गया है ।

10.7 भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा गंगा नदी को परिचालन योग्य बनाया गया है तथा इलाहाबाद से हल्दिया तक निर्मित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए गंगा नदी से मिलने वाली राज्य की महत्वपूर्ण नदियों में जल मार्ग सृजित करने पर राज्य के लगभग **दो हजार ग्राम पंचायत राष्ट्रीय जल मार्ग से सीधे**

**जुड़ सकने** की सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग विकास परिषद को प्रस्ताव भेजा गया है ।

10.8 **सूचना प्रौद्योगिकी** के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी जिलों में एक-एक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की जाएगी । राज्य में प्रोफेशनल शिक्षा के विकास के लिए पटना में बी0आई0टी0 मेसरा का एक केन्द्र स्थापित होगा । केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे शीघ्र बिहार में एक आई0 आई0 टी0, एक क्षेत्रीय अभियंत्रण महाविद्यालय और एक आई0 आई0 एम0 की स्थापना करें । आशा है कि केन्द्र सरकार बिहार की जरूरतों को ध्यान में रखकर शीघ्र इन संस्थाओं की स्थापना की स्वीकृति देगी । साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारम्परिक विधाओं में हो रही सम-सामायिक उपलब्धियों की जानकारी मुहैया कराये जाने के साथ-साथ व्यावसायिक एवं स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों की उपयोगिता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठ्यक्रमों को लागू करने का निदेश दिया गया है ताकि राज्य का युवा वर्ग रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके ।

10.9 हमारी सरकार लगभग दस लाख अत्यधिक गरीब परिवारों का चयन कर **अन्त्योदय अन्न योजना** के अंतर्गत 2 अक्टूबर,2001 से ही लगातार खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है । अत्यधिक वृद्ध एवं गरीब लगभग 1 लाख 66 हजार लाभान्वितों का चयन कर **अन्नपूर्णा अन्न योजना** के अंतर्गत उन्हें प्रतिमाह 10 किलो ग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

10.10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की हत्या होने पर उनके आश्रितों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अनुमान्य 2 लाख रुपए के **अनुदान के अतिरिक्त** चतुर्थ वर्ग में **सरकारी नौकरी** देने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है ।

10.11 राज्य सरकार द्वारा **महिला आयोग का गठन** कर दिया गया है । महिलाओं की ज्वलंत समस्याओं के निवारण हेतु आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं । राज्य में महिलाओं के

प्रति हिंसा की घटनाओं में लगातार वृद्धि एवं अत्याचार से पीड़ित महिलाओं में तात्कालिक सहयोग करने के उद्देश्य से **हेल्प लाइन योजना** युनीसेफ के सहयोग से महिला विकास निगम के तत्वाधान में आरंभ की गई है, जिसमें निःशुल्क कानूनी सेवा, विशेष परिस्थिति में अल्पकालीन आवासीय व्यवस्था एवं दीर्घकालीन पुनर्वास व्यवस्था का प्रावधान है ।

10.12 बिहार से करीब डेढ - दो हजार हज यात्री प्रत्येक वर्ष हज के लिये सऊदी अरब जाते हैं । इन्हें इस यात्रा के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इस दृष्टिकोण से पटना में एक **अल्पसंख्यक कल्याण भवन-सह-हज हाऊस का निर्माण** प्रारंभ कर दिया गया है ।

11. **रोजगार के अवसर** उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है । राज्य सरकार के अधीन रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए हम संकल्पित हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में अबतक 74.32 करोड़ रु0 की राशि व्यय कर 111200 स्वरोजगारियों एवं 1862 स्वयंसेवी ग्रुप को सहायता प्रदान की गयी है । राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की अहमियत को ध्यान में रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में भी प्राथमिकता दी जायेगी । स्वयं सिद्धा कार्यक्रम के अंतर्गत वयस्क महिलाओं को एवं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य के 61 प्रखंडों को आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है । अनुसूचित जाति, पिछड़ें वर्ग और महिलाओं के लिए गठित निगमों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं । सभी बैंक अपनी क्रेडिट योजना के अनुसार कर्ज मुहैया कराएँ, इसके लिए लगातार अनुश्रवण कर स्वरोजगार के अवसर सृजित कराने की कार्रवाई की जाएगी ।

12. **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना** के अंतर्गत 2001-2002 में 123.39 करोड़ रु0 व्यय कर 27222 योजनाएं पूर्ण की गयी हैं जिसमें 136.22 लाख श्रम दिवस का सृजन हुआ है । ग्रामीणों को श्रम रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली **सुनिश्चित रोजगार योजना** के तहत वर्ष 2001-2002 में 110.81 करोड़ व्यय कर 3800 योजनाएं पूर्ण की गयीं, जिसके फलस्वरूप 123.64 लाख श्रम दिवस सृजित किया गया । अगले वर्ष इन दोनों योजनाओं को मिलाकर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में कार्यान्वयन कराया जाएगा ।

13. उर्वर भूमि, आसानी से उपलब्ध जल स्रोत और परिश्रमी लोगों की विशाल संख्या हमारे राज्य के मुख्य शक्ति स्रोत हैं । पिछले वर्ष भी हमने अपनी सरकार का यह संकल्प दुहराया था कि कृषि, कृषि आधारित उद्योग, बागवानी और जल आधारित उपज पर बल देकर हम अगले दस वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन दोगुना करने का प्रयास करेंगे । हमारी सरकार इसे पूरा करने के लिये कृत संकल्प है ।

14. पिछले वर्ष रब्बी में लगभग साढ़े बत्तीस लाख हेक्टेयर के आच्छादन के विरूद्ध इस वर्ष लगभग पौने सैंतीस लाख हेक्टेयर में आच्छादन हुआ है । दलहन और तेलहन के आच्छादन क्षेत्रों में भी इस वर्ष बढ़ोत्तरी हुई है । गेहूँ बीज वितरण और उर्वरक की खपत में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी वृद्धि हुई हैं ।

15. अगले वर्ष **मैक्रो मोड योजना** अन्तर्गत 50 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है । हॉर्टिकल्चर के अन्तर्गत मशरूम विकास, मसाला विकास, फूलोत्पादन, मखाना विकास, फल विकास आदि की योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जायेगा । उर्वरता प्रबंधन, बाजार प्रांगण के विकास, पाट विकास की योजना एवं टाल-दियारा एवं चौर क्षेत्रों के विकास के लिये भी योजनाएं ली जायेंगी । कृषि यांत्रिकीकरण के लिये भी योजना शामिल की जायेगी । इसके अतिरिक्त दलहन एवं तेलहन के विकास एवं मक्का के विकास कार्यक्रम लिये जायेंगे ।

16. राज्य के 177 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि के उपयोग के संबंध में एक योजना बनायी जा रही है । इस भूमि का उपयोग बीज के उत्पादन के लिये भी किया जायेगा । भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद एवं राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रक्षेत्र की भूमि पर **लीची, मखाना, गन्ना, पान एवं दलहन विकास के लिये अनुसंधान** कार्य भी प्रस्तावित हैं । राज्य के तीन जिलों- मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं मुंगेर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी परियोजना चल रही है । वर्तमान वर्ष में पटना जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) के निर्माण की योजना एवं हॉर्टिकल्चर क्षेत्र विकास की योजना में अनुदान का प्रावधान किया गया है ।

17. राज्य में अच्छे खाद्यान्न उत्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार किसानों को **फसल का उचित मूल्य** दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है । वर्त्तमान खरीफ वर्ष में प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर चावल एवं धान की अधिप्राप्ति की जा रही है । भारतीय खाद्य निगम से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण राज्य के किसानों को अच्छी फसल उपजाने के बावजूद अपनी उपज कम दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है । अतः राज्य सरकार की अपेक्षा है कि वैसी केन्द्र प्रायेजित योजनाओं, जिनमें भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से आपूर्त खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, उनमें वह राज्य से ही खाद्यान्न खरीद कर उपलब्ध कराये । इससे खाद्यान्न उत्पादकों को उचित मूल्य तो मिलेगा ही उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी और परिवहन व्यय भी कमेगा ।

18. कृषि उत्पादन में जल संसाधन का पूर्ण एवं बेहतर उपयोग के लिये सरकार सचेष्ट है । **जल संसाधन** विभाग की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार के जरिये वर्ष 2001-2002 के खरीफ में 1261 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करायी गई तथा रब्बी सिंचाई के दौरान 550 हजार हेक्टेयर में सिंचाई देने का लक्ष्य है ।

19. राज्य में बड़ा हिस्सा जल जमाव क्षेत्र का है । इस क्षेत्र से जल निकासी हेतु प्रभावी कार्रवाई की जा रही है । मोकामा टाल-दियारा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है । जल जमाव से ऊसर हो गयी कृषि भूमि के उपचार की जरूरत है । गंडक कमान क्षेत्र की सवा दो लाख हेक्टेयर ऊसर हो गयी भूमि के भूमि-उद्धार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है । दूसरी ओर राज्य के जलाशयों, आहर और पईनों की क्षमता पुनर्स्थापित करने के लिए लगभग 134 करोड़ रु० की योजना केन्द्र सरकार को भेजी गई है । हमारी सरकार ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देना चाहती है ।

20. **लघु सिंचाई प्रक्षेत्र** में नाबार्ड से ऋण प्राप्त करके नये एवं पुराने राजकीय नलकूपों की योजना एवं सतही सिंचाई योजनाएं चलायी जा रही हैं । मई, 2002 तक इन योजनाओं के अंतर्गत 350 नये राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जायेगा, जिनमें बिजली के संबंध के अतिरिक्त डीजल जेनरेटिंग सेट भी दिया जा रहा है । इसी प्रकार 101 पुरानी योजनाओं को पुनर्स्थापित कर उनमें भी डीजल जेनरेटिंग सेट दिया जा रहा है । कुल स्वीकृत 34 योजनाओं में से 11 इस वर्ष पूरी हो जायेंगी एवं शेष को आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा । इन सभी सिंचाई योजनाओं से कुल 5590 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा ।

21. **सहकारी** कृषक सदस्यों को ससमय कृषि उपादान, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं इत्यादि क्रय करने हेतु चक्रचालित नगद ऋण मुहैय्या कराने के उद्देश्य से लगभग ढाई लाख किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर लगभग 292 करोड़ रु0 की स्वीकृति हुई है । 1359 सहकारी समितियों में चुनाव सम्पन्न कराया जा चुका है । गया एवं सीतामढ़ी जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना को लागू करने की स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त हो चुकी है । गोपालगंज एवं मधुबनी में पहले से ही इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

22. सहकारी प्रक्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण मुहैया कराने वाली शीर्ष सहकारी संस्था बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये पुनरूत्थान योजना लागू की गयी है । नाबार्ड के बकायों का निर्धारण कर अतिदेय ऋण का भुगतान किया जा चुका है । शेष बकाया ऋणों के भुगतान हेतु राज्य सरकार, नाबार्ड एवं बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जा चुका है । बैंक द्वारा वसूली में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु ऋण मुक्ति योजना लागू की गयी है ।

23. बिहार में मात्र 6.87 प्रतिशत **प्राकृतिक वन** हैं । सरकार की प्राथमिकता है कि **पर्यावरण** की रक्षा तथा इन प्राकृतिक वनों की सुरक्षा और सम्वर्द्धन का कार्य किया जाए । इस हेतु पौधशालाओं का जाल बिछाया जायेगा । अचानक सूख गये शीशम वृक्षों को काटकर खाली जगहों पर योजनाबद्ध तरीके से उन्नत किस्म की उपयुक्त प्रजातियाँ रोपी जायेंगी । राज्य के एक मात्र वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन किया जायेगा । पटना स्थित संजय गाँधी जैविक उद्यान और अन्य 11 वन्य प्राणी आश्रयणियों एवं दो संरक्षित क्षेत्रों का

विकास किया जाएगा । पर्यावरण संतुलन एवं प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा चार हजार विद्यालयों में इको कल्ब का गठन किया जा रहा है, जिनमें छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने एवं पर्यावरण प्रेमी एवं पर्यावरण प्रहरी रूप में राज्य की सेवा के लिए प्रेरित किया जाएगा । प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों यथा क्रशर उद्योग, चीनी उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, अस्पताल एवं नर्सिंग होम को चिह्नित कर कार्रवाई आरम्भ की गयी है ।

24. वर्ष 2001 में राज्य के 32 जिलों में 5688 गाँवों की लगभग 83 लाख आबादी **बाढ़** की प्रकोप में आ गयी थी और लगभग 5.32 हेक्टेयर में लगी फसल को क्षति पहुँची । हमारी सरकार ने नव निर्वाचित पंचायतों की सीधी भार्गीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके माध्यम से तत्परता से राहत कार्य चलाया । राहत के रूप में ढाई लाख क्विंटल से अधिक मुफ्त खाद्यान्न, नौ हजार क्विंटल से ज्यादा तैयार भोजन, सवा लाख मीटर पॉलीथीन, 13 करोड़ 65 लाख रु0 नकद तथा अन्य सामग्रियाँ बाँटी गई । नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सकारात्मक सहयोग से राहत वितरण से लागों में संतोष रहा । पिछले खरीफ मौसम की शुरूआत में असामयिक एवं अल्प वर्षा के कारण यद्यपि प्रारंभ में फसलें प्रभावित हुई थीं, कृषकों के सहयोग से समस्या का समाधान हो पाया । इसकी प्रतिपूर्त्ति अधिक रब्बी आच्छादन से अंशतः हुई है । विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पिछले वर्ष बाढ़ के दौरान बाढ़ संघर्ष कार्य के जरिये तटबंधों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया तथा आगामी बाढ़ के पूर्व विभिन्न तटबंधों के 305 संवेदनशील स्थलों पर 129 करोड़ रुपए की लागत से कटाव निरोधक कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसे 31 मई तक करने का प्रयास किया जा रहा है ।

25. **पशुपालन** ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है । इसलिए पशुधन की रक्षा एवं इनकी उत्पादकता बढ़ाने की ओर सरकार का पूरा ध्यान है । इस वर्ष में 25.70 लाख मेट्रिक टन दुग्ध, 81.40 करोड़ अंडा, 6.58 लाख किलोग्राम ऊन उत्पादन होने की उम्मीद है । इस वर्ष 2.50 लाख टन मछली उत्पादन एवं 35 करोड़ मिलियन **मत्स्य** बीज के उत्पादन की सम्भावना है । अमूल पैटर्न पर सहयोग समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उच्च कोटि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । 3626 सहयोग समितियों के 1.89 लाख दुग्ध उत्पादक इससे आच्छादित हैं । प्रतिदिन 330 हजार लीटर दुग्ध का संग्रहन एवं वितरण तथा 13 प्रकार के दुग्ध उत्पाद तैयार किये जाते हैं, जिन्हें बाजार में अच्छी ख्याति प्राप्त है । पटना डेयरी प्लांट आई0एस0ओ0 9000 एवं हैसप-15000 की शर्तें पूरा करता है । 744 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर 4.4 लाख कृत्रित गर्भाधान कराये गये हैं । इसके अतिरिक्त लगभग तेईस हजार मे0टन पशु आहार का उत्पादन किया गया है । लो इनपुट टेक्नोलॉजी के तहत भागलपुर में उन्नत नस्ल के देशी **कुक्कुट** प्रक्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव है । पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान, पटना में औटो क्लेव एवं व्यायलर का संस्थापन कर बैक्टीरियल वैक्सिन का उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा ।

26. ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को सुदृढ़ करते हुए **इन्दिरा आवास योजना** के अंतर्गत नये आवास एवं पुराने आवासों के उन्नयन का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । इस वर्ष 68165 नये आवास पूर्ण किये गये हैं । पुराने आवासों के उन्नयन हेतु 37.25 करोड़ व्यय कर 28230 आवासों का उन्नयन किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत भी इस वर्ष 7426 नये आवास पूर्ण किये गये एवं 3951 आवासों का उन्नयन किया गया है ।

27. राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर तबके के कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहे । उसी उद्देश्य हेतु भू-हदबन्दी अधिनियम के अंतर्गत अर्जित अधिशेष भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि एवं सरकारी भूमि को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यन्त कमजोर वर्ग के सुयोग्य व्यक्तियों के बीच बन्दोवस्त किया जाता है । भू-हदबन्दी से प्राप्त अवितरित अधिशेष भूमि, भूदान भूमि एवं बची हुई सरकारी भूमि जो बन्दोवस्त लायक है, को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सुयोग्य परिवारों के बीच वितरण के कार्य को और तेजी से अभियान चलाकर वितरित करने का सरकार का लक्ष्य है । सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह विहीन को आवास हेतु एवं वैसे गॉव, टोले, मुहल्ले जो मुख्य सड़क से जुड़े हुए नही हैं, को भूमि उपलब्ध कराकर आवास हेतु 4 डिसमिल जमीन प्रत्येक परिवार को उपलब्ध करा दिया जाए एवं सम्पर्क सड़क से जोड़ने हेतु जहॉ सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ भू-अर्जन कर सम्पर्क सड़क का निर्माण कराया जाए ।

28. नेपाल सीमा पर 1096 लाख रु0 लागत की दो **सड़क** निर्माण की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । अगले वर्ष 12 बड़े तथा मध्यम आकार के पुलों के निर्माण कार्य तथा 300 कि0मी0 पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है । 2000 कि0मी0 पथ की सतह के नवीकरण एवं विशेष मरम्मत का लक्ष्य है । राष्ट्रीय उच्च्य पथों में 55 कि0मी0 पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा 298 कि0मी0 आई0आर0क्यू0पी0 तथा 260 कि0मी0 पी0आर0 कार्य कराने का लक्ष्य है । साथ ही 200 कि0मी0 पथ के सुधार कार्य को कराने का भी कार्यक्रम है ।

29. **परिवहन** प्रक्षेत्र आर्थिक व्यवस्था के सेवा प्रक्षेत्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है । इसे उन्नत एवं आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं । विभाग के मुख्यालय सहित बड़े जिला परिवहन कार्यालयें में कम्प्यूटर अधिष्ठापित है । वाहन का पंजीकरण, पथ कर, कर प्रतीक आदि उक्त जिलों में कम्प्यूटर द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं । इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों को चरणबद्ध रूप में कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ।

30. **ऊर्जा** प्रक्षेत्र में उन्नयन एवं सुधार के अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी चलाए गये हैं जो और भी बड़े पैमाने पर वर्ष 2002-2003 में भी जारी रहेंगे । प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 600 गॉवों के विद्युतीकरण का

कार्य किया जा रहा हैं । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 231 गाँवों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है । टाल दियारा क्षेत्र में भी 200 गाँवों का विद्युतीकरण हो रहा हैं । सीमा क्षेत्र विकास के अंतर्गत कुल 161 गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है । त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 21.45 करोड़ रु० की योजना स्वीकृत की गयी है । इससे पेसू, पटना एवं मुजफ्फरपुर आपूर्ति अंचलों के वितरण प्रणाली की उन्नति एवं संवर्द्धन का कार्य प्रस्तावित है । इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण भी प्रस्तावित है ।

31. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध **पेयजल** एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के तहत बंद पड़े पुराने चापकलों के स्थान पर उन्नत किस्म के हैण्डपम्प के साथ नये चापाकलों का निर्माण भू-गर्भीय संरचना के अनुसार चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है । प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी,2002 तक 4001 अदद उन्नत किस्म के हैण्ड पम्प यथा-इंडिया मार्क -।।। एवं तारा पम्प के साथ नये चापाकलों को स्थापित किया गया है । पूर्वोत्तर के नौ जिलों में शुद्ध पेय जल के लिये माह जनवरी,2002 तक 8922 अदद लौह निष्कासन संयंत्रों का निर्माण किया गया है । इन संयंत्रों में से 7706 अदद संयंत्रों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु ग्राम स्तर पर गठित वाटसन समिति को हस्तानान्तरित भी किया गया है । ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस राज्य में 15 जिलों का चयन किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर जल एवं स्वच्छता मिशन (प्रकल्प) का गठन कर सोसायटी ऐक्ट के तहत निबंधित किया गया है । प्रकल्प एवं जन समुदाय की भागीदारी से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है ।

32. **सूचना तकनीक** कार्यो को गति देने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत एक सूचना तकनीक निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । राज्य में योजना आयोग द्वारा अनुदानित राशि 7.75 करोड़ से राज्य में जिला मुख्यालयों, प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालयों एवं सचिवालय भवनों को कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में कारवाई की जा रही है ।

33. हमारी सरकार **प्राथमिक शिक्षा** के विकास हेतु प्रतिबद्ध है । प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 432 नये प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण पर 1620 लाख, 1862 पेयजल एवं शौचालय के निर्माण हेतु 837.90 लाख रु० प्रोत्साहन भत्ता योजना एवं अनुदानित पाठ्य पुस्तक योजना पर 909 लाख रु० व्यय किया जा रहा हैं । सम्प्रति जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम राज्य के 20 जिलों में संचालित है ।

34. **शिक्षकों** का पदस्थापन उनके निवास स्थान से अधिक दूरी पर होने से विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतः गृह पंचायत से बाहर निकटतम विद्यालय में पदस्थापन करने के लिए नियमावली बनायी गयी है । शिक्षा के सशक्तिकरण हेतु सरकार कृतसंकल्प है । इस क्रम में विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव को दूर करने के लिए सरकार रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई कर रही है । इस बीच लोक शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था कराने

पर भी विचार किया जा रहा है । विद्यालय शिक्षा समितियों ने भी कार्य प्रारंभ कर दिया है ।

35. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत नेपाल सीमा पर 279 लाख रु0 की लागत पर 84 प्राथमिक **विद्यालय भवनों के निर्माण** की योजना कार्यान्वित हो रही है । इसके अतिरिक्त 835 भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है । आशा है कि शीघ्र राज्य में कोई भवनहीन विद्यालय नहीं रहेगा । शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य के वैसे सभी गाँवों, टोले जहाँ एक कि0मी0 के अन्दर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है एवं इनकी आबादी 300 है वहाँ पर शिक्षा गारंटी केन्द्र की स्थापना की जाएगी । प्रत्येक शिक्षा गारंटी केन्द्र पर प्रति 30 छात्र एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी । शिक्षा गारंटी केन्द्र का संचालन सामुदायिक स्तर पर किया जायेगा ।

36. इस वर्ष राज्य के तीन जिलों में **सम्पूर्ण साक्षरता** अभियान परियोजना, दो जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम और दो जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों को वयस्क शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन एवं मूल्यांकन का दायित्व सौंपा गया है । अगले वर्ष 17 जिलों में सर्व शिक्षा का अभियान चलाया जायेगा । देश एवं समाज की युवा पीढ़ी को बचपन एवं युवावस्था की वयः संधिकाल में व्यवस्थित और प्रशिक्षित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है । इस उद्देश्य के मद्देनजर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए राज्य में 91 (+2) विद्यालयों में सम्प्रति चल रही व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की व्यवस्था की जा रही है ।

37. सर्वांगीण विकास हेतु युवावर्ग में खेल-कूद के प्रति रुचि जगाने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई है । इस वर्ष से जीवनोपलब्धि पुरस्कार भी प्रारम्भ किया गया है । अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान को उत्कृष्टता का केन्द्र बनाने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है । राज्य के नवस्थापित 3 विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयेग एवं अन्य केन्द्रीय संस्थानों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता हेतु दो-दो करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी है ।

38. राज्य में **जनसंख्या आयोग** का गठन कर उसकी पहली बैठक कराई जा चुकी है । पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है । परिवार कल्याण परिक्षेत्र में आपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य भी कराये जा रहे हैं । देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र में पटना आयुर्वेदिक कॉलेज एवं तिब्बी कॉलेज में औषधीय पौधों की बागवानी तथा उनके प्रोत्साहन के लिए वृहद कार्यक्रम चलाये जाने की योजना है ।

39. इस वर्ष बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा 15 स्वैच्छिक जाँच केन्द्र खोले गये हैं । इसके अलावा 11 पुराने यौन संचारित रोग क्लिनिक को

वित्तीय पोषण किया गया एवं 4 नये एस0टी0डी0 क्लिनिक की शुरूआत की गई । राज्य के सभी सरकारी रक्त अधिकोष को 46.96 लाख रु0 राशि आवंटित की गई । राज्य में इस वर्ष दो बार स्वस्थ यौवन मेला मनाया गया । इस वर्ष राज्य के सभी प्रखंडों के 20-20 स्थानों पर शिविर आयोजित कर ग्रामीणों के बीच एच0आई0भी0/एड्स एवं यौन रोग के संबंध में जानकारी एवं यौन रोग का मुफ्त इलाज किया गया है ।

40. बिहार राज्य अंधापन निवारण समिति के अंतर्गत जिला अंधापन निवारण समिति के द्वारा गरीबों को मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन के अंतर्गत इस वर्ष 40,898 मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है । इसके अतिरिक्त सदर अस्पतालों में भी लेंस प्रत्यारोपण की व्यवस्था तथा स्कूली बच्चों को मुफ्त जॉचकर आवश्यकतानुसार चश्मा देने की व्यवस्था की गयी है । पाँच घातक बीमारियों-मलेरिया, कुष्ट, यक्ष्मा, फाइलेरिया एवं कालाजार के नियंत्रण एवं उपचार हेतु हमारी सरकार उच्च प्राथमिकता पर कार्यक्रम चला रही है ।

41. इस राज्य में 203 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें से 116 परियोजनाएँ विश्व बैंक सम्पोषित आई0सी0डी0एस0- ।। परियोजना एवं शेष 87 परियोजनाएँ सामान्य आई0सी0डी0एस0 के तहत आच्छादित है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 30 परियोजनाएँ विश्व बैंक सम्पोषित एवं 161 परियोजनाएँ सामान्य आई0सी0डी0एस0 के तहत खोलने की स्वीकृति अंतिम प्रक्रिया में है ।

42. नेत्रहीन एवं मूक वधिर छात्रों के लिये राज्य में तीन नेत्रहीन विद्यालय एवं 5 मूक वधिर विद्यालय संचालित हैं । विकलांगों के पुनर्वास हेतु 5 जिलों यथा-गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पश्चिमी चम्पारण में जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गयी है । राज्य सरकार ने सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु विकलांगों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है ।

43. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आर्थिक उन्नयन एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं** के द्वारा उनका कल्याण करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है । उपर्युक्त वर्गों के लगभग 4 लाख 7 हजार छात्र छात्राओं के बीच साढ़े सोलह करोड़ रु0 की छात्रवृति वितरित की गयी है । अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावासों तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ 10 आयुर्वेदिक केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है ।

44. विभाग ने वर्ष 2000-2001 में **अल्पसंख्यकों** के बीच उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु 32 जिलों में एक-एक छात्रावास तथा पटना जिला में छात्राओं के लिए एक अतिरिक्त छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है । इस योजना के अंतर्गत 9 जिलों में छात्रावास निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । अन्य जिलों में भी शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है । बिहार राज्य अल्पसंख्यक

वित्त निगम लि0 के माध्यम से 1278 व्यक्तियों को 5.18 करोड़ रु0 का ऋण वितरित किया गया है । राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कोषांग के गठन का निर्देश दिया गया है । अल्पसंख्यकों के रक्षार्थ 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय 15-सूत्री अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है । वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 के अधीन शिया एवं सुन्नी वक्फों की देखरेख के लिये सिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है । सुचारू रूप से संचालन के लिये बिहार वक्फ बोर्ड नियमावली का निर्माण किया जा रहा है । वक्फ की समस्याओं के निदान के लिये बिहार वक्फ ट्रिव्यूनल का गठन किया गया है ।

45. **बंधुआ मजदूर पुनर्वास** योजनान्तर्गत अनुमंडल स्तर एवं जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमिटी एवं निगरानी समिति का गठन करने का निर्देश दिया जा चुका है तथा इस कार्य में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता द्वारा बंधुआ मजदूरों के पहचान एवं पुनर्वास हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है । राज्य **सामाजिक सुरक्षा** पेंशन योजनान्तर्गत समाज के वृद्ध, विधवा, असहाय, अपंग तथा बंधुआ मजदूरों को 100 रु0 प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जा रहा है । वस्त्र वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के भूमिहीन, अपंग, निर्धन तथा भिक्षुकों के बीच सूती धोती, साड़ी एवं ऊनी कम्बल का मुफ्त वितरण सरकार द्वारा किया जाता है । राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का भी कार्यान्वयन मुश्तैदी से कराया जा रहा है ।

46. बिहार में **उद्योग** की चहुँमुखी विकास हेतु बिहार उद्योग आयोग का गठन किया गया था । आयोग से अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है जिसके आलोक में नयी नयी औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार किया गया है । इस वर्ष के अंत तक नयी औद्योगिक नीति तैयार हो जाने की पूर्ण सम्भावना है । बिहार में दो फूड पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है इसके लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है । हाजीपुर में निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है । पार्क में तीन इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है । पार्क के आसपास के क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु हाजीपुर-जन्दाहा सड़क का चौड़ीकरण, बाढ़, आंधी तूफान से आये पानी निकासी, कामन एफ्लूऐन्ट ट्रीटमेंट प्लांट, वाह्य विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा । सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीरियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना हाजीपुर में करने के साथ-साथ महिला प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा हेतु एक महिला छात्रावास की स्थापना भी की जा रही है । पटना में एक साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है । 36 विद्युत, करघा बुनकरों को उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बुनाई में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । भागलपुर, नवादा के बुनकरों-सह-कातकों के बीच 70 पोटराईज्ड रीलिंग मशीनों का वितरण किया गया । भागलपुर जिला में बुनकरों के कल्याणार्थ टेक्सटाईल पार्क की स्थापना. हस्तकरघा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण देने और लघु उद्योगों की स्थापना पर हमारी सरकार विचार कर रही है ।. छोटे उद्यमियों के लिए सभी जिलों में

कम्प्यूटर, फैक्स, फोटो स्टेट, टंकण, बाजार/व्यापार संबंधी सूचना की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिजनेस सेन्टर की स्थापना भी सरकार के विचाराधीन है ।

47. राज्य में जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखडान्तर्गत मंजोष एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में मैग्नेटाईट लौह अयस्क का अन्वेषण किया जा रहा है । उसके अतिरिक्त ग्रेनाईट **खनिज** के लिए भी भूतात्विक अन्वेषण कार्य किया गया है । उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर बाढ़ नियंत्रण के लिए पश्चिमी चम्पारण एवं गोपालगंज जिलों के गण्डक बेसीन क्षेत्र का भू-आकृति, भूसंरचना, ड्रेनेज पैटर्न आदि का भू-पर्यावणीय अध्ययन किया खिसकना स्पष्ट रूप से रेखांकित हुआ है । लघु खनिजों यथा-बोल्डर, ग्रेवेल एवं सिंगल के स्वामित्व निर्धारण हेतु एक जिलावार प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

48. राज्य में **पर्यटन** के विकास के लिये सरकार क्रियाशील है । इस हेतु निजी उद्यमियों को बड़ी परियोजना में पूँजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । भगवान महावीर के 2600 वें जन्म कल्याणक वर्ष महोत्सव के अवसर पर राज्य स्थित विभिन्न जैन तीर्थों के विकास के लिए भारत सरकार को लगभग 25 करोड़ रु0 की योजना स्वीकृति हेतु भेजी गयी है । झीलों, झरनों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण की योजना के अन्तर्गत भीम बाँध, ककोलत, काँवरझील, जयमंगलागढ़, गोगावील झील तथा बाल्मीकिनगर में पर्यटन के उद्देश्य से कार्य करने की योजना है । कैमूर जिला में कुछ पाषाणकालीन शैलचित्रों एवं गुफाओं की खोज की गयी है ।

49. राज्य का **वित्तीय प्रबंधन** दुरुस्त करने की कार्रवाई की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विगत वर्षों में कोषागार कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा होने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2001-2002 से उप कोषागारों एवं पटना स्थित कोषागारों के सुदृढ़ीकरण की कार्रबाई की जा रही है । साथ ही कार्मिकों के भविष्य निधि लेखा को अद्यतन करने हेतु भविष्य निधि निदेशालय एवं इसकी जिला इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है ।

50. राज्य में **मनोरंजन** कर का वर्गीकरण 2001 की जनगणना के अनुसार करने की कार्रवाई की जा रही हैं । मूल्य वृद्धि **बिक्री कर** प्रणाली को राज्य में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बिहार के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ।

51. राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से प्रेसीडेन्सी नगरों में होने वाले **निबंधन** पर रोक लग पाया है । निबंधन प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से निबंधन कार्यालयों को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है । निबंधित मूल दस्तावेज पक्षकारों को अब निबंधन की स्वीकृति की तिथि को ही

वापस कर दिये जाते हैं । **उत्पाद** राजस्व में वृद्धि हेतु नई उत्पाद नीति सरकार के विचाराधीन है ।

52. अपने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक होने के कारण ही न सिर्फ साम्प्रदायिक सद्भाव कायम है बल्कि उद्योग, कृषि, शिक्षा, सामाजिक संबंध आदि क्षेत्रों में शांति का वातावरण है । भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अपराध संबंधी आंकड़ों के अनुसार बिहार की स्थिति कई अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर रही है । फिर भी अपराध पर नियंत्रण बनाये रखने और पुलिस बल को चुस्त-दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस बल को आधुनिकतम वाहन, हथियार, संचार यंत्र, अन्य आधुनिकतम उपकरण एवं संयंत्र उपलब्ध कराये जा रहें हैं । दूसरी ओर उनके मनोबल को ऊँचा रखने के उद्देश्य से उग्रवादी हिंसा में मरने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को दी जानेवाली वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि की गयी है । उग्रवाद की समस्या से निबटने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने युवा वर्ग के लोगों को उग्रवाद से विमुख कर मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए पुनर्वास एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया है । नेपाल सीमा क्षेत्र में सीमा पार से हो रहे आपराधिक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिये राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों एवं संगठनों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के समन्वय हेतु एक स्थायी समिति एवं एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है । पुलिस मुख्यालय में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन दल का गठन किया गया है । आरक्षी बल के सुदृढ़ीकरण हेतु दो इंडिया रिजर्व बटालियन सृजित कर उन्हें खड़ा किया जा रहा है ।

53. साम्प्रदायिक दंगों में मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रितों के लिये पूर्व से अनुमान्य एक लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान के अतिरिक्त चतुर्थ वर्ग में सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है ।

54. **कारा सुधार** के अन्तर्गत बंदियों को विभिन्न ट्रेड यथा-कताई, बुनाई, सिलाई, तम्बू निर्माण, काष्ठ कला, लौह कर्मशाला, साबुन, फिनाईल इत्यादि के निर्माण में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है । कारा में कैदियों/बंदियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक भुगतान करने तथा बंदी के अपराध से प्रभावित परिवार के पुनर्वास की योजना के अंतर्गत कठिन, मध्यम एवं हल्के श्रम के लिए अलग-अलग पारिश्रमिक निर्धारित की गयी है ।

55. राज्य के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है, जिनमें इस वर्ष कुल 11850 मुकदमों का निपटारा किया गया है । बिहार राज्य **विधि** प्राधिकार के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए 50 लाख रुपये के स्थायी कोष की स्थापना की गयी है। राज्य में लम्बित वादों के निष्पादन हेतु कुल 183 अतिरिक्त न्यायालयों के विरूद्ध 57 पीठासीन पदाधिकारी की सीधी नियुक्ति एवं 73 पीठासीन पदाधिकारी की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा चुकी है । फास्ट ट्रेक कोर्ट के 183 न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान क

गयी है । भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के निष्पादान हेतु चार अतिरिक्त न्यायलयों के गठन का निर्णय लिया गया है ।

56. बिहार विधान मंडल में इस संयुक्त अधिवेशन में मेरे भाषण को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । मुझे विश्वास है कि इस सत्र में आप पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ सभी कार्यों को सम्पन्न करेंगे । मेरी कामना है कि सजग और सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में आप जनाकांक्षाओं की पूर्ति में सदैव सफल रहें तथा सामाजिक न्याय एवं धर्म-निरपेक्षता की धारा को प्रशस्त करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और ज्ञान-मूलक समाज के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभायें । शुभास्तु तव पान्थाः "आपका मार्ग शुभ हो ।"

**जय हिन्द ।**

बि० स० मु० (संसदीय) 4—मो० जी०—925—

सचिव, बिहार विधान-सभा : राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय को लेकर सदन से बाहर गए ।)

टर्न:2:अंजनी:दि0 15·3·02

§महामहिम राज्यपाल महोदय के सभा-सदन से प्रस्थान के पश्चात्§

§इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया§

डा0 शकील अहमद§मंत्री§: अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान-सभा के दो माननीय सदस्य ड टर प्रो0 जावेद एवं श्री अखलाक अहमद साहेब हज करके आये हैं, हमलोग चाहते है क सदन की ओर से इनको बधाई दी जाय ।

अध्यक्ष : सदन की ओर से बधाई देते हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी§नेता विरोधी दल§: सदन की ओर से तो बधाई है लेकिन अध्य महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हमलोगों को जो नारा लगाना पड़ा, लोग नहीं चाहते थे कि नारा लगे । हमलोग चाहते थे कि आचार संहिता का प न किया जाय ।

अध्यक्ष : आचार संहिता का पालन तो करना ही चाहिए । स्वीकृत कराने क्त भी आप थे ही ।

श्री सुशील कुमार मोदी§नेता विरोधी दल§: जी महोदय, हम थे । उस समय सरकार ने दा कि था कि 90 दिन सत्र चलाया जायेगा, यह सरकार का आश्वासन था और ार ने आचार-संहिता को स्वीकार किया था लेकिन महोदय मात्र 6 दिनों का बुलाया जाय, कहीं से भी सरकार की मंशा इस वर्ष/90 दिन सत्र चलाने की दिखा नहीं पड़ती है। इसलिए हमलोगों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरा विरोध करना पड़ा ।

महोदय, मैं चाहूँगा कि आप सुनिश्चित करायें कि इस वर्ष 90 दिन सत्र सरकार चलाये ।

डा0 रामचन्द्र पूर्वे§मंत्री§: महोदय, वर्ष में 90 दिन सत्र चलाने की बात हुई थी और अभी नहीं बतलाना चाहता हूँ कि क्यों यह शॉर्ट सत्र हो गया । राज्यपाल के भाषण के बाद हम आपको पूरा हिसाब देंगे कि क्यों शॉर्ट सत्र बुलाया गया । तो पूर साल बाकी है, जुन-जुलाई बाकी है और दिसम्बर भी बाकी है। इसलिए अ हिसाब मत कीजिए ।

टर्न:2:अंजनो: दि0 15.3.02

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल): महोदय, क्या मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि इस वर्ष 90 दिन सत्र चलायेंगे । क्या आप सदन को, बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे ।

डा0 रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री): महोदय, सबसे बड़ा होगा, यह सरकार की ओर से मैं आश्वासन देता हूँ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल): 90 दिन की बात करें, 90दिन सत्र चलाने का आश्वासन है, आचार संहिता में 90 दिनों का उल्लेख है।

श्री उमाशंकर सिंह : महोदय, आचार संहिता का उल्लंघन सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष : विरोध नहीं करना है जिसको देश ने मान लिया.......

श्री उमाशंकर सिंह : देश ने तो मान लिया लेकिन सत्ताधारी दल के लोग नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण ।

श्री उमाशंकर सिंह : वहाँ संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित थे ।

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए । आपकी बात सरकार तक पहुँच गई, कृपया बैठ जाइए ।

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

अध्यक्ष : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नि0 12 (1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को द्वादश बिहार विधान-सभा के सप्तम-सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ :-

1• श्री लालू प्रसाद, स0 वि0स0

2• श्री भोला प्रसाद सिंह, स0 वि0स0

3• श्री हरिनारायण सिंह, स0 वि0स0

4• श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, स0 वि0स0

5• श्री अब्दुल जलील मस्तान, स0 वि0स0

## समितियों का गठन

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य चालन नियमावली के नियम-219(1) के अधीन मैं द्वादश बिहार विधान-सभा के सप्तम सत्र के लिए कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती राबड़ी देवी, | मुख्य मंत्री | सदस्य |
| 2. | श्री रामचन्द्र पूर्वे, | संसदीय कार्यमंत्री | सदस्य |
| 3. | श्री जगदानन्द सिंह, | मंत्री | सदस्य |
| 4. | श्री विजय शंकर दूबे, | मंत्री | सदस्य |
| 5. | श्री सुशील कुमार मोदी, | नेता, विरोधी दल, स0वि0स0 | सदस्य |
| 6. | श्री लालू प्रसाद, | स0वि0स0 | सदस्य |
| 7. | श्री उमा शंकर सिंह, | स0वि0स0 | सदस्य |
| 8. | श्री गणेश प्रसाद यादव, | स0वि0स0 | सदस्य |
| 9. | श्री रामसेवक हजारी, | स0वि0स0 | सदस्य |
| 10. | श्री राम नरेश राम, | स0वि0स0 | सदस्य |

### विशेष आमंत्रित

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री महाबली सिंह, | स0वि0स0 |
| 2. | श्री रामदेव वर्मा, | स0वि0स0 |
| 3. | श्री राजेन्द्र राजन, | स0वि0स0 |
| 4. | श्री जगदीश शर्मा, | स0वि0स0 |

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

सभा की बैठक समाप्त होने के बाद तुरत मेरे कार्यालय कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी।

राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों प्रभारी मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखा जाना ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (संसदीय कार्य मंत्री) : महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 ( 5-2 ) के अनुसार राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित निम्न तीन अध्यादेशों ा एक-एक प्रति मैं सभा मेज पर रखता हूँ :-

अध्यादेश के नाम एवं संख्या

(1) बिहार लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001
(बिहार अध्यादेश संख्या-6, 2001

(2) पटना नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001
( बिहार अध्यादेश संख्या-7, 2001 )

(3) बिहार नगरपालिका ( द्वितीय संशोधन )अध्यादेश, 2001
( बिहार अध्यादेश संख्या-8, 2001 )

बिहार विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा गत सत्र में पारि तदुपरान्त राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों के विवरण का सभा सचिव रा पटल पर रखा जाना ।

सभा सचिव : महोदय, मैं बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार वि मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक प ो पटल पर रखता हूँ, जिस पर महामहिम राज्यपाल ने अपनी अनुमति प्रदान क ई और जि सूचना द्वादश बिहार विधान सभा के षष्ठ-सत्र की समाप्ति के बाद प्त हुई है

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

| क्रमांक | विधेयक का नाम | अनु | की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2001 | 11. | .2001 |
| 2. | न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) विधेयक, 2001 | 31. | .2001 |
| 3. | बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 | 02 | .2001 |
| 4. | बिहार विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2001 | 02 | .2001 |
| 5. | बिहार विधान मंडल (नेता, विरोधी दल का वेतन और भत्ता) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 | 25 | .2002 |

शोक-प्रकाश

टर्न पये-6
15-3-2002

## शोक-प्रकाश

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, राज्य के कतिपय जननायकों के निधन की मुझे सूचना मिली है जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा दुःखद कर्त्तव्य है :-